

# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

## आदेश

सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के नियम-03 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं सौरभ स्वामी, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर 258 रामावि को राउमावि में कमोन्नति के फलस्वरूप इस कार्यालय के पत्र क्रमांक शिविरा/माध्य/बजट/बी-4/25605/2020-21/251 दिनांक 02.10.2020 के साथ संलग्न सूची में अंकित शालाओं के लिए पदों की स्वीकृति दी जाकर बजट लेखा मद आवंटित किया गया है। उक्त आदेश में वर्णित प्रत्येक विद्यालय के संस्था प्रधान को कार्यालयाध्यक्ष (Head of office) घोषित करता हूँ। सम्बन्धित संस्था प्रधान समय-समय पर जारी किये गये वित्तीय नियमों तथा आदेशों के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेंगे तथा इनको विशेष रूप से निम्नांकित कार्य करने के लिए अधिकृत करता हूँ :-

1. राजकोष में प्रस्तुत किये जाने हेतु स्वयं के तथा अपने कार्यालय के राजपत्रित /अराजपत्रित कर्मचारियों के निजी भुगतानों (वेतन एवं भत्ते) के बिलों पर हस्ताक्षर आहर्ता अधिकारी के रूप में करना।
2. उपरोक्त प्रकार के आहरित किये गये बिलों की राशि के भुगतान सम्बन्धित सभी रजिस्ट्रों एवं अभिलेखों में किये गये सम्बन्धित इन्द्राजों पर हस्ताक्षर करना।
3. उनके द्वारा इस प्रकार से आहरित किये गये बिलों की राशि के भुगतान सम्बन्धित सभी रजिस्ट्रों एवं अभिलेखों में किये गये सम्बन्धित इन्द्राजों पर हस्ताक्षर करना।
4. राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये वित्तीय नियमों एवं आदेशों के अन्तर्गत स्वीकृत अनावर्तक राशि का व्यय करना।
5. वित्तीय नियमों एवं समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार आकस्मिकताओं पर आवर्तक व्यय करना।
6. सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत (प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिकताओं को छोड़कर) आकस्मिक व्यय करने हेतु निधि प्रेषित करने के लिए सभी बिलों पर हस्ताक्षर करना।
7. उचित प्राप्तकर्ताओं को ऐसे प्रभारों के भुगतान किये जाने को प्रमाणित करना तथा उनको सत्यापन की साक्षी में रोकड़ पुस्तिकाओं से सम्बन्धित इन्द्राजों पर हस्ताक्षर करना।
8. कोषाधिकारी को बिलों को प्रस्तुत करने से पूर्व राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये आदेशों की प्रति एवं अपने नियंत्रण अधिकारी से प्रमाणित करवाकर प्रस्तुत करेंगे।
9. राजस्थान यात्रा भत्ता नियम 1971 के नियमों के अध्याय 10 में शक्तियों के प्रत्यायोजन की अनुसूची के क्रमांक-2 के तहत इन्हे स्वयं के यात्रा बिलों के अलावा कार्यालय के उपरोक्त (1) में अंकित अधिकारी/कर्मचारियों के यात्रा बिलों के लिए भी नियंत्रण अधिकारी बनाया जाता है।

संलग्न: आदेश, स्वीकृत पदों की सूची


  
निदेशक

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,  
बीकानेर

दिनांक: 22.10.2020

क्रमांक: शिविरा/माध्य/स्थिरी-स/34180/सामान्य/कार्यालयाध्यक्ष/2020-21/  
प्रतिलिपि:

1. महालेखाकार, लेखा एवं हक, जयपुर।
2. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी।
3. सम्बन्धित संस्था प्रधान।
4. सम्बन्धित कोष/।
5. सिस्टम एनालिस्ट कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

  
मुख्यलेखाधिकारी 22/10/20

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,  
बीकानेर